



सत्यमेव जयते

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
सीपज़ सेवा-केन्द्र भवन, सीपज़-विआक्षे
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY
SEEPZ SERVICE CENTRE BUILDING, SEEPZ SEZ.
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.

फा.सं.सीपज़-सेज़/संपदा/एनओएमआइ/518/2016-17/15235

दिनांक 28.7.2017

परिपत्र संख्या - 14

विषय:- सीपज़ - सेज़ प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामन के आवेदन हेतु दिनांक 08 अगस्त, 2017 तक तारीख बढ़ाए जाने के संबंध में ।

सीपज़ - सेज़ प्राधिकरण के सदस्य रूप में नामन के संबंध में दिनांक 21.01.2017 तथा दिनांक 10.3.2017 के परिपत्र संख्या 23, 28 सीपज़-सेज़/संपदा/एनओएमआइ/518/ 2016-17/01785, 05032 (प्रतिलिपियां संलग्न) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । सभी यूनिटधारकों तथा जनपयोगी सेवाओं से अनुरोध है कि वे निर्धारित फॉर्मेट में दिनांक 08 अगस्त, 2017 तक अथवा इसके पूर्व विवरण सहित अपनी सहमति प्रस्तुत करें ।

जिन यूनिटधारियों ने दिनांक 10.3.2017 के परिपत्र संख्या सीपज़-सेज़/संपदा/एनओएमआइ/518/2016-17/05032 के अनुसार पहले आवेदन दिया है, उनके लिए दुबारा आवेदन करना आवश्यक नहीं है । सीपज़ - सेज़ प्राधिकरण के सदस्यों के नामन को अंतिम रूप देते समय इन आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा ।

08 अगस्त, 2017 के पश्चात प्राप्त होने वाली सहमति पर नामन के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

यह अध्यक्ष, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(महेश यादव)

संपदा प्रबंधक /उविआ
सीपज़ - सेज़ प्राधिकरण

प्रति,

सभी यूनिट तथा जनपयोगी सेवाएं

अध्यक्ष Chairperson 28290856

सचिव Secretary 28294770

प्रबंधक (संपदा) Manager (Estate) 28294770

फैक्स / Fax : 28291385 / 28291754

ई-मेल / E-mail : dcseepz-mah@nic.in

वेबसाइट / Website : www.seepz.gov.in

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के बढ़ते कदम - राजभाषा के संग



सत्यमेव जयते

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
सीपज़ सेवा-केन्द्र भवन, सीपज़-विआक्षे
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY
SEEPZ SERVICE CENTRE BUILDING, SEEPZ SEZ.
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.

फाइल सं.सीपज़-सेज़/संपदा/एनओएमआइ/518/2016-17/

दिनांक 10.3.2017

परिपत्र संख्या - 28

**विषय:- सीपज़ - सेज़ प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामन प्रस्तुत किए जाने की तारीख
31 मार्च, 2017 तक बढ़ाए जाने के संबंध में।**

सीपज़ - सेज़ प्राधिकरण के सदस्य रूप में नामन के संबंध में परिपत्र संख्या 23/सीपज़-सेज़/संपदा/एनओएमआइ/518/2016-17 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। सभी यूनिटधारकों तथा जनपयोगी सेवाओं से अनुरोध है कि वे निर्धारित फॉर्मेट में दिनांक 31 मार्च, 2017 तक अथवा इसके पूर्व विवरण सहित अपनी रजामंदी प्रस्तुत करें।

31 मार्च, 2017 के पश्चात प्राप्त होने वाली रजामंदी पर नामन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

यह अध्यक्ष, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

दिनांक 10/3/2017

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त/
संपदा प्रबंधक
सीपज़ - सेज़ प्राधिकरण

प्रति,

सभी यूनिट तथा जनपयोगी सेवाएं

अध्यक्ष Chairperson 28290856

सचिव Secretary 28294770

प्रबंधक (संपदा) Manager (Estate) 28294770

फैक्स / Fax : 28291385 / 28291754

ई-मेल / E-mail : dcseepz-mah@nic.in

वेबसाइट / Website : www.seepz.gov.in

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के बढ़ते कदम - राजभाषा के संग

